



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9765

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 266 सन् 2026

अविनाश मिश्रा

...याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य

...प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

अरुण कुमार गुप्ता, प्रशांत गुप्ता

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता :

ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत गुप्ता और प्रत्यर्थागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री चंद्र कला चतुर्वेदी (एओआर ए/एस 1310/2012) की दलीलें सुनीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस न्यायालय के पास रिट याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है, विशेष रूप से तब जब जिन अधिकारियों के खिलाफ राहत मांगी गई है वे नई दिल्ली, कर्नाटक और जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं और केवल इस तथ्य से कि रिट याचिकाकर्ता प्रयागराज का निवासी है, इस न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं हो जाता है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया जा सका।
4. तदनुसार, **राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ (2005) 1 यूपीएलबीईसी 108** में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है, और रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है, जिससे याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि वह उस न्यायालय से संपर्क कर सकता है जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

14 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।